रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 मार्च, 2001

फाल्गुन 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 628/सत्रह-वि-1--1 (क) 23-2001

लखनऊ, 15 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 7 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1927 की धारा 2 का संशोधन

2—भारतीय वन अधिनियम, 1927, की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है; धारा 2 में,—

खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(1) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य धारा 52-क के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है;

(1-क) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, खच्ची पशु, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ियां, खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े, मेढ़ियां, भेड़े, मेमने, बकरियां और बकरियों के मेमने भी हैं;";

धारा 26 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ख) में शब्द "आरक्षित वन में" के पश्चात शब्द "या ऐसी किसी भूमि में जिसके संबंध में धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी की गयी हो स्थित किसी वन में" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ङ) में, शब्द "घसीटने" के स्थान पर शब्द "हटाने" रख दिया जायेगा,

(तीन) खण्ड (च) में, शब्द "पत्तियां तोड़ डालेगा, या उसे" के पश्चात् शब्द "या किसी वन उपज को" बढ़ा दिये जायेंगे,

(चार) शब्द "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ख) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का न होगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और अन्य खण्डों में से किसी के अधीन किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "या साफ करेगा" के पश्चात् शब्द "या तोड़ने या साफ करने का प्रयास करता है" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (च) में, शब्द "खींचता है" के स्थान पर शब्द "हटाता है" रख दिये जायेंगे,

(तीन) शब्द "जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से" के स्थान पर शब्द "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से; दण्डनीय होगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में ऐसी अवधि के लिये कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों, ऐसे नियमों द्वारा विहित कर सकेगी।"

धारा 52 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "यानों या पशुओं" के स्थान पर शब्द "यानों या पशुओं, रस्सियों, जंजीरों, या अन्य वस्तुओं" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी नाव या यान का प्रयोग ऐसी किसी वन उपज के परिवहन के लिए किया गया है या किया जा रहा है, जिसके संबंध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी नाव या यान के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति से उसे रोकने की अपेक्षा कर सकता है और वह ऐसी किसी नाव या यान को ऐसे युक्ति-युक्त समय के लिए जैसा कि ऐसी नाव या यान में रखी वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए और ऐसी नाव या यान के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के प्रश्नगत वन उपज के स्वामित्व और विधिक उत्पत्ति से सम्बन्धित दावों, यदि कोई हो, को अभिनिश्चित करने के लिए परिवहित माल से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, आवश्यक हो, निरुद्ध कर सकता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गयी है, और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और यदि अभिग्रहण वन उपज के संबंध में हो, जो कि राज्य सरकार की सम्पत्ति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा।"

नई धारा 52-क, 52-ख, 52-ग और 52-घ का बढ़ाया जाना

7— मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात, निम्नलिखित धाराए बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

"52—क (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, के सम्बन्ध में किसी वन अपराध के किये जाने का विश्वास हो, वहां धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के, उस अपराध करने में प्रयुक्त ऐसे समस्त औजारों, नावों, यानों, पशुओं रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं सहित राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, जो प्रभागीय वन अधिकारी की पंक्ति से निम्न न हो, प्रस्तुत करेगा जो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा, कब्जा, परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में कारणों सहित, जो अभिलिखित किये जायेंगे, एक लिखित आदेश देगा और औजारों, नावों, यानों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं की स्थिति में उन्हें अधिहरित भी कर सकता है।

अभिग्रहण पर प्रक्रिया

(2) प्राधिकृत अधिकारी, बिना किसी अनुचित विलम्ब के, उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति अपने पदीय वरिष्ठ को अग्रसारित करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की राय हो कि सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को लोक नीलाम द्वारा बेचे जाने का आदेश दे सकता है और आगमों को इस प्रकार बरत सकता है जैसा कि वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि वह बेची न गयी होती और प्रत्येक ऐसी बिक्री की रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस व्यक्ति को जिससे सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाय, और किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित रखने वाला प्रतीत हो, बिना लिखित सूचना दिये नहीं दिया जायेगा :

परन्तु किसी यान को अधिहरित करने के किसी आदेश से जहां अपराधी का कोई पता न चल सके, उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित सूचना देना और उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करना, पर्याप्त होगा।

(5) किसी औजार, नाव, यान, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु को अधिहरित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के संतोषानुसार यह साबित कर दे कि ऐसे किसी औजार,

नाव, यान, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसकी जानकारी के या मौनानुकूलता से या, यथास्थिति, बिना उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी के या मौनानुकूलता से, किया गया था और वन अपराध के किये जाने के लिए उपर्युक्त वस्तुओं के प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वोपाय किये गये थे ।

अपील

52-ख—अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार, अपीलार्थी और प्राधिकृत अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि, उपान्तरित या अभिशून्य करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जैसा वह उचित समझे और राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा ।

अधिहरण का आदेश किसी अन्य दण्ड को नहीं रोकेगा

52-ग—धारा 52-क या 52-ख के अधीन अधिहरण का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड को दिये जाने से नहीं रोकेगा जिसका उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है ।

कतिपय मामलों में अधिकारिता पर रोक

52-घ—इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब कभी राज्य सरकार की कोई वन उपज और उसके साथ कोई औजार, नाव, यान, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत की जाय, तब प्रत्येक अन्य अधिकारी, न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को अपवर्जित करते हुए धारा 52-क के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या धारा 52-ख के अधीन राज्य सरकार को सम्पत्ति की अभिरक्षा, कब्जे में रखने, परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए अधिकारिता होगी ।"

धारा 53 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(एक) शब्द "यानों या पशुओं," के स्थान पर शब्द "यानों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरें, या अन्य वस्तुयें" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "बन्धन पत्र निष्पादित किये जाने पर," के पश्चात शब्द "धारा 52-क के अधीन आने वाले मामलों के, जिनके लिए उस धारा में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, सिवाय," बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 55 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजार, नावें, यान, पशु" के स्थान पर शब्द "ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त औजार, नावें, यान और पशु, रस्सियां, जंजीरें और अन्य वस्तुयें" रख दिये जायेंगे ।

धारा 57 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द "कोई अपराध किया गया है, तो" के पश्चात शब्द "धारा 52-घ के अधीन रहते हुए" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 58 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 58 में, शब्द "मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिए, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर शब्द "धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गयी और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिए, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 52-क की उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे ।

धारा 60 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 60 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात—

"(2) जब धारा 52-क के अधीन अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और अपील या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा अवधि बीत गयी है और कोई

अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है या जब अपील या पुनरीक्षण में सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के लिए अधिहरण के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।"

नयी धारा 61-ख और 61-ग का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 61-क के पश्चात, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

अप्राधिकृत अध्यासियों की संक्षिप्त बेदखली

"61—ख (1) यदि प्रभागीय वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति जो आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्र में किसी भूमि के अप्राधिकृत अध्यासन में है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए तो वन-अधिकारी लिखित सूचना देगा जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है, कारण बताने को कहा जायेगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) यदि इस धारा के अधीन सूचना के अनुसरण में दिखाये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, वन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उक्त भूमि अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह ऐसे कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, बेदखली का आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश होगा कि उक्त भूमि को ऐसे दिनांक तक जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जो आदेश के दिनांक से दस दिन से कम नहीं होगा, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रिक्त कर दिया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो वन अधिकारी, जिसने उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया था या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य वन अधिकारी, उस व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसे आदेश के विरुद्ध सर्किल के वन संरक्षक को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अपील कर सकता है और वन अधिकारी का आदेश ऐसी अपील में विनिश्चय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड़ी गयी सम्पत्ति का निस्तारण

61—ग (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 61-ख के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हो, वहां वन अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे भूमि का कब्जा लिया गया है, कम से कम दस दिन की नोटिस देने के पश्चात, ऐसी भूमि पर अवशेष किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराये गये भवन की कोई सामग्री या खड़ी फसल भी है, हटा सकता है या हटवा सकता है या लोक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति बेची जाय वहां उसके विक्रय आगम का भुगतान, विक्रय के व्ययों की और भूमि को उसके मूल रूप में लाने के लिए आवश्यक व्ययों की कटौती करने के पश्चात, संबंधित व्यक्ति को किया जायेगा।"

नई धारा 65-क का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे

"65—क (1) इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 26, या धारा 33 या धारा 42 या धारा 63 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अजमानतीय होगा।

(2) उपर्युक्तानुसार किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके निजी बांध पत्र पर निर्मुक्ति के लिए आवेदन पत्र देने पर निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) अभियोजन पक्ष को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन-पत्र का विरोध करने के लिए अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहां अभियोजन पक्ष उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।"

नई धारा 66-ए का समावेश

15—प्रमुख अधिनियम की धारा 66 के पश्चात निम्नलिखित धारा का समावेश किया जायेगा, यथा :—

वन अपराध को न रोकने के लिए दण्ड

66-ए—कोई भी व्यक्ति, वन अधिकारी हो अथवा पुलिस अधिकारी, जो धारा 66 के अधीन किसी वन अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, अपनी मंशा से या जानबूझकर ऐसे अपराध को रोकने में लापरवाही बरतता है, उससे चूक हो जाती है अथवा उसे करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह दो वर्ष की सजा अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों के लिए दण्ड का भागी होगा।

धारा 68 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 68 में उपधारा (3) में,—

(एक) शब्द "और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये और उसी प्रकृति के द्वितीय और अनुवर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये से कम या दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 74 का प्रतिस्थापन

17—मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

सद्भाव से किए गये कार्यों के लिए अभित्राण

"74—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या दिये गये आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावना पूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

धारा 77 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 79 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 79 में, उपधारा (2) में, शब्द "एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 82 का प्रतिस्थापन

20—मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

सरकार को शोध्य धन की वसूली

"82—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के अधीन, या किसी वन उपज की या किसी आरक्षित या संरक्षित वन में राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि पर उत्पन्न की गयी किसी कृषि फसल की कीमत के कारण या वन उपज या उक्त कृषि फसल से संबंधित किसी संविदा के अधीन राज्य सरकार को जुर्माने से भिन्न देय सब धन जिसके अन्तर्गत उस संविदा के उल्लंघन के लिए या उसके रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप उसके आधार पर वसूलीय कोई धनराशि भी है, या ऐसी कृषि फसल या अन्य वन उपज की नीलामी द्वारा, या किसी वन अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन जारी किये गये टेण्डरों को आमंत्रित करके बिक्री से संबंधित नोटिस के शर्तों के अधीन देय धन और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को दिये गये समस्त प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिये गये हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे वसूल किये जा सकेंगे मानों वे भू-राजस्व की बकाया हों।"

उद्देश्य और कारण

विगत कुछ समय से वन अपराधों की घटनाओं में असाधारण वृद्धि हुई है। अब वन अपराध संगठित और प्रभावशाली गिरोहों द्वारा धन और ताकत के बल पर किये जाते हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण में भी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्ध ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर कोई प्रभावशाली अंकुश लगाने में पर्याप्त नहीं है। अतएव, उक्त अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करना आवश्यक समझा गया ताकि राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसे अपराधियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए अधिक अधिकार दिये जा सकें और ऐसे अपराधों के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की जा सके। कतिपय अपराधों को अजमानतीय बनाया गया है। यह भी आवश्यक समझा गया कि औजारों, नावों, यानों और पशुओं के अतिरिक्त कतिपय अन्य वस्तुओं जैसे—रस्सी, जंजीर इत्यादि के अभिग्रहण और अधिहरण के लिए व्यवस्था की जाय और वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति हो, के साथ औजारों, नावों, यानों और पशुओं इत्यादि के अभिग्रहण और ऐसे औजारों, नावों इत्यादि के अधिहरण के लिए विशिष्ट प्रक्रिया रखी जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि अधिहरण के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील करने और राज्य सरकार के विनिश्चय को अन्तिम बनाने के लिए व्यवस्था की जाय। वन भूमि पर अतिक्रमण के अत्यधिक संख्या में मामलों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि अनधिकृत अधिभोगियों की संक्षिप्त बेदखली के लिये और ऐसे अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा भूमि पर छोड़ी गयी सम्पत्ति के निस्तारण के लिए व्यवस्था की जाय। कतिपय बहुमूल्य वन उपज को पद "वन उपज" में सम्मिलित किया जा रहा है। कतिपय अन्य पारिणामिक संशोधन भी किये जा रहे हैं। तदनुसार भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पुरः स्थापित किया जाता है।

राजधारी सिंह,
मंत्री,
वन।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 628(2)/XVII-V-1—1(KA)-23-2001

Dated Lucknow, March 15, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Van (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 7, 2001 :—

THE INDIAN FOREST (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 1 of 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Indian Forest Act, 1927 in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2000. Short title, extent and commencement

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of section 2 of Act no. XVI of 1927

2. In section 2 of the Indian Forest Act, 1927, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (1) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(1) "authorised officer" means any officer authorised under sub-section (1) of section 52-A;

(1-A) "cattle" includes elephants, camels, buffaloes, horses, mares, geldings, ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs, rams, ewes, sheep, lambs, goats and kids; "

Amendment of section 26

3. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*i*) in clause (b) *after* the words "reserved forest" the words "or to a forest in the land in respect of which a notification under section 4 has been issued" shall be *inserted* ;

(*ii*) in clause (e) *for* the word "dragging" the word "removing" shall be *substituted*;

(*iii*) in clause (f) *after* the words "the same" the words "or any forest produce" shall be *inserted* ;

(*iv*) *for* the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both," the words "shall, for an act under clause (b) or clause (f) or clause (g) or clause (h), be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to twenty thousand rupees but which shall not be less than five thousand rupees, or with both, and for an act under any of the other clauses, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both," shall be *substituted*.

Amendment of section 33

4. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*i*) in clause (c) *after* the words "or clears" the words "or, attempts to break up or clear" shall be *inserted*;

(*ii*) in clause (f) *for* the word "drags" the word "removes" shall be *substituted*;

(*iii*) *for* the words "six months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both" the words "two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and on the second and every subsequent conviction for the same offence, with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 42

5. In section 42 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The State Government may by such rules prescribe as penalties for the contravention thereof imprisonment for a term which may extend to two years, or fine which may extend to five thousand rupees or both."

Amendment of section 52

6. In section 52 of the principal Act,—

(*i*) in sub-section (1), *for* the words "vehicles or cattle" the words "vehicles, cattle, ropes, chains or other articles" shall be *substituted*,

(*ii*) *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely—

"(2) Any Forest Officer or Police Officer may, if he has reason to believe that a boat or vehicle has been, or is being, used for the

transport of any forest produce in respect of which a forest offence has been, or is being, committed, require the driver or other person in charge of such boat or vehicle to stop it, and he may detain such boat or vehicle for such reasonable time as is necessary to examine the contents in such boat or vehicle and to inspect the records relating to the goods transported so as to ascertain the claims, if any, of the driver or other person in charge of such boat or vehicle regarding the ownership and legal origin of the forest produce in question.

(3) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made, and if the seizure is in respect of forest produce which is the property of the State Government, shall also make a report to the authorised officer."

Insertion of new sections 52-A, 52-B, 52-C and 52-D

7. *After* section 52 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely:—

Procedure on seizure

"52-A (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force where a forest offence is belived to have been committed in respect of any forest produce, which is the property of the State Government, the officer seizing the property under sub-section (1) of section 52 shall, without unreasonable delay, produce it together with all the tools, boats, vehicles, cattle, ropes, chains and other articles used in committing the offence, before an officer, not below the rank of a Divisional Forest Officer, authorised by the State Government in this behalf, who may, for reasons to be recorded, make an order in writing with regard to custody, possession, delivery, disposal or distribution of such property, and in case of tools, boats, vehicles, cattle, ropes, chains and other articles, may also confiscate them.

(2) The authorised officer shall, without any undue delay, forward a copy of the order made under sub-section (1) to his official superior.

(3) Where the authorised officer passing an order under sub-section (1) is of the opinion that the property is subject to speedy and natural decay he may order the property or any part thereof to be sold by public auction and may deal with the proceeds as he would have dealt with such property if it had not been sold and shall report about every such sale to his official superior.

(4) No order under sub-section (1) shall be made without giving notice, in writing, to the person from whom the property is seized, and to any other person who may appear to the authorised officer to have some interest in such property:

Provided that in an order confiscating a vehicle, when the offender is not traceable, a notice in writing to the registered owner thereof and considering his objections if any will suffice.

(5) No order of confiscation of any tool, boat, vehicle, cattle, rope, chain or other article shall be made if any person referred to in sub-section (4) proves to the satisfaction of the authorised officer that any such tool, boat, vehicle, cattle, rope, chain or other article was used without his knowledge or connivance or without the knowledge or connivance of his servant or agent, as the case may be, and that all reasonable precautions had been taken against use of the objects aforesaid for the commission of the forest offence.

Appeal

52-B. Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the date of Communication to him of such order, prefer an appeal to the State Government and the State Government shall, after giving an opportunity of being heard to the appellant and the authorised officer pass such order as it may think fit confirming, modifying or annulling the order appealed against and the order of the State Government shall be final.

52-C. No order of confiscation under section 52-A or 52-B shall prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under this Act.

Order of confiscation not to prevent any other punishment

52-D Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the code of Criminal Procedure, 1973 or in any other law for the time being in force, whenever any forest produce belonging to the State Government together with any tool, boat, vehicle, cattle, rope, chain or other article is seized under sub-section (1) of section 52, the authorised officer under section 52-A or the State Government under section 52-B shall have jurisdiction, to the exclusion of every other officer, court, Tribunal or authority, to make orders with regard to the custody, possession, delivery, disposal or distribution of the property."

Bar of jurisdiction in certain cases

Amendment of section 53

8. In section 53 of the principal Act,—

(*i*) *for* the words "vehicles or cattle" the words "vehicles, cattle, ropes, chains or other articles" shall be *substituted*.

(*ii*) *after* the words "the seizure has been made" the words "except in respect of cases falling under section 52-A for which the procedure laid down in that section shall be followed" shall be *inserted*.

Amendment of section 55

9. In section 55 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "vehicles and cattle used in committing any forest offence" the words "vehicles, cattle, ropes, chains and other articles used in committing such forest offience" shall be *substituted*.

Amendment of section 57

10. In section 57 of the principal Act, *for* the words "The Magistrate may." the words "the Magistrate, subject to sceion 52-D may," shall be *substituted*.

Amendment of section 58

11. In section 58 of the principal Act *for* the words "the Magistrate may, notwithstanding anything hereinbefore contained," the words "Notwithstanding anything hereinbefore contained, but subject to sub-section (3) of section 52-A, the Magistrate may," shall be *substituted*.

Amendment of section 60

12. Section 60 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so renumbered the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) When an order for confiscation has been pased under section 52-A and the period of limitation for an appeal or revision has elapsed and no appeal or revision has been preferred or when in appeal or revision the order for confiscation for whole or a portion of the property has been confirmed, the property or such portion, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances."

Insertion of new sections 6 -B and 61-C

13. *After* section 61-A of the principal Act, the following sections shall be *inserted* namely:—

"61-B (1) If a Forest Officer, not below the rank of a Divisional Forest Officer, is of the opinion that any person is in unauthorised occupation of any land in areas constituted as a reserved or protected forest under section 20 or section 29 as the cases may be, and that he should be evicted, the Forest Officer shall issue a notice in writing calling upon the person concerned to show cause, on or before such date as is specified in the notice, why an order of eviction should not be made.

Summary eviction of unauthorised occupants

(2) If after considering the cause, if any, shown in pursuance of a notice under this section, the Forest Officer is satisfied that the said land

is in unauthorised occupation. he may make an order of eviction for reasons to be recorded therein, directing that the said land shall be vacated by such date, as may be specified in the order, by the person concerned, which shall not be less than ten days from the date of the order.

(3) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction by the date specified in the order, the Forest Officer who made the order under sub-section (2) or any other Forest Officer, duly authorised by him in this behalf, may evict that person from and take possession of the said land and may, for this purpose, use such force as may be necessary.

(4) Any person aggrived by an order of the Forest Officer under sub-section (2) may, within such period and in such manner as may be prescribed, appeal against such order to the Conservator of Forests of the circle or to such officer as may be authorised by the State Government in this behalf and the order of the Forest Officer shall, subject to the decision in such appeal, be final.

Disposal of Property left on land by unauthorised occupant

61-C (1) Where any person has been evicted from any land under section 61-B, the Forest Officer may, after giving not less than ten days notice to the person from whom possession of the land has been taken, remove or cause to be removed or dispose of, by public auction, any property remaining on such land including any material of a demolished building or standing crop.

(2) Where any property is sold under sub-section (1) the sale proceeds thereof shall, after deducting the expenses of the sale and the expenses necessary to restore the land to its riginal condition, be paid to the person concerned."

Insertion of new section 65-A

14. *After* section 65 of the principal Act the following section shall be *inserted* namely:—

Certain offences to be non-bailable

"65-A (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in tha Code of Criminal Procedure, 1973 any offence punishable under section 26, or section 33 or section 42 or section 63 shall be non-bailable.

(2) No porson accused of any offence as aforesaid shall, if in custody, be released on application for releasd on bail or on his own bond unless—

(*a*) the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(*b*) Where the prosecution opposes the application as aforesaid the court is satisfied that there are reasonable grounds for beliving that he is not guilty of such offence."

Insertion of new section 66-A

15. *After* section 66 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Penalty for not preventing commission of forest offence

"66-A. Whoever, being a Forest Officer or Police Officer, bound under section 66 to prevent commission of any forest offence, intentionally or knowingly, neglects or omits to prevent or abets, the commission of such offence, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

Amendment of section 68

16. In section 68 of the principal Act, in sub-section (3),—

(*i*) the word "and is in receipt of a monthly salary amounting to atleast one hundred rupees" shall be *omitted*;

(*ii*) *for* the words "five hundred rupees" the words "five thousnnd rupees for the first offence and for second and subsequent offence of the same nature shall not be less than five thousand rupees or more than ten thousand rupees," shall be *substituted*.

Substitution of section 74

17. *For* section 74 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Indemnity for acts done in good faith

"74. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any public servant for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules or orders made thereunder."

Amendment of section 77

18. In section 77 of the principal Act *for* the words "one month, or fine which may extend to five hundred rupees" the words "one year, or with fine which may extend to two thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 79

19. In section 79 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "one month, or with fine which may extend to two hundred rupees", the words "one year, or with fine which may extend to one thousand rupees," shall be *substituted*.

Substitution of section 82

20. *For* section 82 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Recovery of money due to State Government

"82. All money, other than fines, payable to the State Government under this Act or under any rule made thereunder or on account of the price of any forest produce or any agricultural crop grown on land owned by the State Government in a reserved or protected forest or under any contract relating to forest produce or said agricultural crop, including any sum recoverable thereunder for breach thereof, or in consequence of its cancellation, or under the terms of a notice relating to the sale of such agricultural crop or other forest produce by auction or by invitation of tenders issued by or under the authority of a Forest Officer and all compensation awarded to the State Government under this Act, may, if not paid when due, be recovered, under the law for the time being in force, as if it were an arrear of land revenue."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the recent past incidence of forest offences has increased considerably. Forest offences are now committed by organised and influential gangs with money and muscle power. Encroachments on forest land have also increased. The provisions of Indian Forest Act, 1927, in its application to Uttar Pradesh, are not adequate to put an effective check on the activities of such offenders. It is, therefore, considered necessary to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh so as to equip the officers of the State Government with more powers to deal with such offenders effectively and to provide for stringent punishment for such offences. Certain offences have been made non-bailable. It is also considered necessary to provide for seizure and confiscation of certain other articles like ropes chains, etc. besides tools, boats, carts and cattles and to lay down specific procedure for seizure of forest produce which is the property of Government together with the tools, boats, carts, cattles etc. and confiscation of such tools, boats etc. It is also considered necessary to provide for appeal to the State Government against the order of confiscation and to make the decision of the State Government final. In view of large number of cases of encroachment on forest land, it has been considered necessary to provide for summary eviction of unauthorised occupants and disposal of properties left on land by such unauthorised occupants. Certain valuable forest produce are being included in the term 'forest produce'. Certain other consequential amendments are also being made.

The Indian Forest (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2000 is accordingly introduced.

RAJDHARI SINGH,
Mantri, Van.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० पू० पी०--ए० पी० 251 सा० शिक्षा० --(7323)--2001--850 (मेक०)